फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना कादरीगेट

दिनांक :- 03.07.2026

थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0152/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को चोरी किये गये माल के साथ किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर **श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर **श्री यमुना प्रसाद** के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पुलिस बल द्वारा मु0अ0सं0 0152/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त विकाश राजपूत उर्फ करू पुत्र गिरीश उर्फ चन्द्रशेखर उर्फ कृपाल उर्फ मूली, निवासी ग्राम ब्रह्मपुरी थाना मेरापुर जनपद फर्रूखाबाद को मुकदमा उपरोक्त से संबंधित चोरी किये गये माल के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

विकाश राजपूत उर्फ करू पुत्र गिरीश उर्फ चन्द्रशेखर उर्फ कृपाल उर्फ मूली निवासी ग्राम ब्रह्मपुरी थाना मेरापुर जनपद फर्रूखाबाद।

घटना का विवरण- वादिनी मुकदमा द्वारा प्रा0 पत्र दिया गया कि दिनांक 29/06/26 को समय दोपहर 01 बजे प्रार्थिनी रोडवेज वस अड्डा फर्र0 से गाडी न0 UP78LN5916 पर बैठकर अपने मायके सवायजपुर जा रही थी तभी दो अज्ञात लोगो ने प्रार्थिनी का वेग रोडवेज वस पर चढाया और पीछे रख दिया और कहा आप आगे सीट पर वैठ जाए प्रार्थिनी अपने दोनो पुत्रो के साथ सीट पर बैठ गयी पीछे वैग मे कुण्डा तोडकर रखा उसमे सोने के आभूषण मे गले के दो पेन्डल, नाक का फूल, कान के कुन्डल तथा 25000 रु0 नगदी और घरेलू कागज आधार कार्ड, पैनकार्ड, राशनकार्ड, वैंक पासवुक के साथ वैग खाली कर कादरीगेट पर रास्ते मे नमस्ते करके उतर गया, जिसके बाद वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 0152/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । विवेचना के क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्त विकाश राजपूत उर्फ करू पुत्र गिरीश उर्फ चन्द्रशेखर उर्फ कृपाल उर्फ मूली निवासी ग्राम ब्रह्मपुरी थाना मेरापुर जनपद फर्रूखाबाद को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण- दिनांक 29.06.2026 को मैं अपने साथी नीरज व रामनरेश उर्फ नरेश के साथ बस स्टैंड फर्रुखाबाद गया था। वहां एक महिला का ट्रॉली बैग बस में चढ़वाकर पीछे रख दिया तथा उसे आगे बैठा दिया। बैग में ताला लगा होने के कारण हमने उसका कुंडा तोड़कर उसमें से लेडीज पर्स व कागजातों की पन्नी चोरी कर ली। बाद में पर्स व कागजात रास्ते में फेंक दिए। चोरी किए गए सामान में सोने के दो पेंडल, एक नाक का फूल, एक जोड़ी सोने के कुंडल तथा ₹25,000 नगद थे, जिन्हें हमने आपस में बांट लिया। मेरे हिस्से में एक जोड़ी सोने के कुंडल, एक सोने का नाक का फूल तथा ₹10,000 नगद आए। मेरे पास से बरामद जेवरात व नगद उसी चोरी के हैं। मैं इन जेवरों को बेचने जा रहा था, तभी आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मुझसे गलती हो गई, शेष सफाई मैं न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से दूंगा।

बरामदगी का विवरण-

1. एक जोड़ी कान के कुन्ड़ल पीली धातु
2. एक नाक का फूल पीली धातु
3. 10000/- रूपये नगद

अभि0 विकाश राजपूत उर्फ करू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 0323/2018 धारा 356/379/411 भा0द0वि0 थाना कोत0 फर्रूखाबाद
2.मु0अ0सं0 0620/2018 धारा 307 भा0द0वि0 थाना मोहम्मदाबाद
3.मु0अ0सं0 0621/2018 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना मोहम्मदाबाद
4.मु0अ0सं0 0571/2018 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना नवाबगंज
5.मु0अ0सं0 0566/2018 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना मोहम्मदाबाद
6. मु0अ0सं0 0152/2026 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना कादरी गेट

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना कादरीगेट पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री दयानन्द पटेल प्रभारी चौकी रोड़वेज
2. उ0नि0 श्री विमल कुमार
3. का0 368 जय किशोर
4. का0 74 क्षितिज गौतम
5. का0 1277 सुशील कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ।